

27 <sup>6</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं  
 अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर  
 बार-2 आवाज लगावाई गई। आवाज लगवाने  
 के बाद भी प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील हाजिर  
 नहीं आए। पत्रावली अदालत हाजरी अदालत पेशगी  
 में खारिज की जाती है। पत्रावली के सब  
 शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद  
 तरीक तकमील कार्रवाई रहती है।



महायक कलक्टर एवं  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 बीकानेर